

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229007
SG-DL-E-14082021-229007

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 132
No. 232]	DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 132

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

सं. एफ4/15/92-सीआईएस-II/3018-3026.—उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली दुकान और संस्थापन अधिनियम, 1964 की धारा 36 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त श्रमायुक्त- I को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मुख्य निरीक्षक, दुकान और संस्थापन नियुक्त करते हैं।

अधिसूचना क्रमांक एफ.4/15/92-सीआईएस-II/3734 दिनांक 28.09.2007 जिसके द्वारा श्री के.आर. वर्मा को मुख्य निरीक्षक दुकान और संस्थापन नियुक्त किया गया था, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम से,
के.एस.मीणा, विशेष सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th August, 2021

F. No.4/ 15/92/CIS-II/3018-3026.—In exercise of the powers conferred by section 36 of Delhi Shops & Establishments Act, 1954, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Additional Labour Commissioner-I as the Chief Inspector of Shops & Establishments for carrying out the purpose of the said Act in the whole of the National Capital Territory of Delhi.

The notification no. F.4 (15)/92-CIS-II/3734 dated 28.09.2007 appointing Sh. K.R. Verma as Chief Inspector of Shops & Establishments is hereby cancelled.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

K.S. MEENA, Spl. Secy. (Labour)